पटना में दिनांक–25 जनवरी, 2017 बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	आपदा प्रबंधन विभाग	
1.	अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण के तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा देने की कुल 25.37 करोड़ (पचीस करोड़ सैंतीस लाख) रू० के परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	कृषि विभाग	
2.	बिहार कृषि प्रक्षेत्र क्षेत्र सहायक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	कृषि विभाग	
3.	11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 5160.05 लाख (एकावन करोड़ साठ लाख पाँच हजार) रूपये एवं 03 प्रमंडल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 1703.31 लाख (सत्तरह करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये कुल 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं तत्काल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 40 प्रतिशत 2745.3440 लाख (सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख चौंतीस हजार चार सौ) रूपये व्यय की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 60 प्रतिशत 4118.016 लाख (इक्तालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार छः सौ) रूपये भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने की स्वीकृति।	3. स्वीकृत।
	कृषि विभाग	
4.	बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को जैविक उत्पादन प्रमाणन कार्य करने एवं इसके स्थापना मद में 18 (अठारह) अतिरिक्त पदों के सृजन तथा इसके लिए वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कुल 719.71448 लाख (सात करोड़ उनीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस) रूपये सहायक अनुदान मद में स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2016–17 में एजेन्सी को 50.19000 लाख (पचास लाख उनीस हजार) रूपये विमुक्ति की स्वीकृति।	4. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

5. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग (Commission of Inquiry Act, 1952 के अंतर्गत) के कार्यकाल को छः माह यथा 18.01.2017 से 17.07.2017 तक बढ़ाने के संबंध में। 5. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

6. लाभा–चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दायॉ तटबंध का रोशना (सिंहेश्वर चौक) से गोविन्दपुर (भोलामारी) तक 19.50 कि०मी० लम्बाई में तटबंध का पुनर्स्थापन एवं पक्कीकरण का कार्य (प्राक्कलित राशि–7403.86 लाख रूपये) (चौहत्तर करोड़ तीन लाख छियासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 6. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

7. बायॉ कमला बलान तटबंध के क्रिटिकल रिचों में कि०मी० 28.00 से 30.00 कि०मी० 55.50 से 57.00 एवं कि०मी० 66. 40 से 83.50 के बीच उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (प्राक्कलित राशि रूपये 2591.10 लाख)(पच्चीस करोड़ ईकानवे लाख दस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 7. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

8. "कटिहार जिलान्तर्गत गंगा नदी के बॉये तट पर हरदेव टोला से खट्टी तक कटाव निरोधक कार्य" (प्राक्कलित राशि–6700.13 लाख) (सड़सठ करोड़ तेरह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 8. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

9. "कटिहार जिलान्तर्गत गंगा नदी के बॉये तट पर ग्राम पत्थर टोला से स्पर संख्या–12 के पास कमलाकानी तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य" (प्राक्कलित राशि–5950.80 लाख) (उनसठ करोड़ पचास लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 9. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

10. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन अल्पसंख्यक कल्याण सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा नियमावली–2017 की स्वीकृति के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

12. सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में ठहरने पर कमरे का किराया अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त देय होने के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

13. सिविल रिट सं०–1022/1989 मे दायर आई०ए० संख्या–339/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–14.07.2016 के आलोक में दिनांक–01.01.1996 के बाद एवं दिनांक–01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन निर्धारण के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

14. व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पुनर्नियोजित कर पदस्थापना के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

15. श्री रामेश्वर रविदास (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1867/99, 965/04, 790/08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर (भभुआ) सम्प्रति निलंबित को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड की स्वीकृति के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

16. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3983, दिनांक–03.05.2010 एवं 8487 दिनांक–30.08.2010 के द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तथा स्वीकृत्यादेश संख्या–14187 दिनांक–30.08.2013 के द्वारा दिनांक–01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तारित कुल 432 पदों में से मूल कोटि के पे–बैण्ड रू० 9300–34,800 ग्रेड पे रू० 5400/–में वरीय उप समाहर्त्ता के कुल 99 पदों के अवधि विस्तार के संबंध में। 16. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. पटना जिलान्तर्गत पालीगंज को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। 18. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार पुराविद् परिषद् पटना को स्थापना आदि व्यय के लिए ₹ 5,00,000/–(पाँच लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। 19. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

20. नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक का अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹ 6,33,00,00,000.00 (छः अरब तैंतीस करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

21. बिहार सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग कलाकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2017 की स्वीकृति। 21. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

22. कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। 22. **स्वीकृत।**